राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1222/2017

ओमप्रकाश शर्मा –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.09.2017
आदेश की दिनांक : 05.08.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : अनुपस्थित

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी की नियुक्ति राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर फरवरी, 1981 में की गई थी, उसके पश्चात् अपीलार्थी का चयन अगस्त, 1984 में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कोष एवं लेखा विभाग में किया गया। अपीलार्थी का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियमित चयन प्रक्रिया से किया गया तथा अपीलार्थी ने दिनाँक 31.08.1984 को उक्त पद पर कार्यग्रहण किया। राजस्थान सरकार के आदेश दिनाँक 25.01.1992 के अनुसार अपीलार्थी को नौ वर्षीय चयनित वेतनमान आदेश दिनाँक 29.03.1994 के आदेश द्वारा दिनाँक 31.08.1993 से वेतनमान 1640–2900 स्वीकृत किया गया (अनुलग्नक–1)। इसके पश्चात् 18 वर्षीय चयनित वेतनमान राज्य सरकार के आदेश दिनाँक 25.01. 1992 के अनुसार दिनाँक 31.08.2002 से दिया गया तथा प्रत्यर्थी सं0–2 ने अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर आदेश दिनाँक 20.09.2011 द्वारा 27 वर्षीय ए०सी०पी० वेतनमान 9300–34800 पे बैण्ड–2 एवं ग्रेड पे 4800 स्वीकृत किया गया तथा अपीलार्थी का वर्ष 2009 में लेखाकार के पद पर पदोन्नति की गई, उसके पश्चात् अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के पद पर सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति की गई (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी राजकीय सेवा नियमों के अनुसार 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के कारण दिनाँक 30.06.2017 से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया गया। अपीलार्थी ने समय से पूर्व ही पेंशन कुलक

अप्रैल, 2017 में प्रत्यर्थीगण को प्रस्तुत किये, परन्तु प्रत्यर्थीगण ने आज तक भी अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति परिलाभों का सम्पूर्ण भुगतान नहीं किया। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति तिथि को बेसिक पे 28920/–रूपये थी तथा उक्त बेसिक पे के आधार पर ही अपीलार्थी को अनुपयोजित उपार्जित अवकाश का प्रत्यर्थी सं0–3 ने आदेश दिनाँक 07.07.2017 द्वारा भुगतान किया गया (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी का मूल विभाग कोष एवं लेखा है तथा अपीलार्थी से सम्बन्धित समस्त वेतन नियतन प्रत्यर्थी सं0–2 द्वारा ही किये जाते हैं। प्रत्यर्थी सं0–3 के कार्यालय में प्रत्यर्थी सं0–2 की कैडर पोस्ट होने के कारण अपीलार्थी उक्त कार्यालय में सेवानिवृत्ति दिनाँक तक कार्यरत था। प्रत्यर्थी सं0–2 ने अपीलाथी की बेसिक पे 28920/–रूपये के आधार पर सम्पूर्ण परिलाभों के भुगतान हेतु प्रत्यर्थी सं0–3 के कार्यालय में पत्रावली को भुगतान हेतु भेजा गया, परन्तु प्रत्यर्थी सं0–3 द्वारा आज तक भी अपीलार्थी को ग्रेच्युटी, पेंशन आदि का भुगतान नहीं किया तथा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रत्यर्थी सं0–3 ने प्रत्यर्थी सं0–2 द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनाँक 25.01.1992 के अनुसार दिये गये नौ वर्षीय व 18 वर्षीय चयनित वेतनमान को तथा 27 वर्षीय ए०सी०पी० को संशोधित करते हुये आलोच्य आदेश दिनाँक 03.08.2017 (अनुलग्नक–4) द्वारा अगस्त, 1993 से समस्त वेतन को संशोधित किया गया तथा अपीलार्थी की बेसिक पे को 28920/–रूपये के स्थान पर 28350/–रूपये किया गया तथा उक्त बेसिक पे के आधार पर ही अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करने हेतु आदेश जारी किये गये। इसके पश्चात् अपीलार्थी के ग्रेच्युटी से आलोच्य आदेश दिनॉक 14.08.2017 द्वारा चार लाख रूपये अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वसूली करते हुये रोका गया, जबकि अपीलार्थी के मूल विभाग ने कभी भी अपीलार्थी के बेसिक पे को संशोधित नहीं किया। प्रत्यर्थी सं0–3 ने बिना राज्य सरकार के आदेशों के अपीलार्थी के चयनित वेतनमान व ए०सी०पी० को संशोधित किया गया, जबकि राज्य सरकार ने आज तक भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में चयनित वेतनमान संशोधित करने के लिये किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी ने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर दिनाँक 31.08.1984 को मध्यान्ह पश्चात् कार्यग्रहण किया था तथा राज्य सरकार के चयनित वेतनमान देने के आदेश दिनाँक 25.01.1992 (अनुलग्नक–6) में यह प्रावधान है कि कर्मचारी को नौ वर्ष व 18 वर्षीय चयनित वेतनमान नियमित नियुक्ति तिथि से सेवाओं की गणना करते हुये जिस दिनाँक को नौ वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उससे अगली तारीख से कर्मचारी को चयनित वेतनमान दिया जायेगा। अपीलार्थी को नौ वर्ष दिनाँक 30.08.1993 मध्यान्ह पश्चात् हो रहे हैं, इसलिये अपीलार्थी को प्रत्यर्थी सं0–2 द्वारा जो सक्षम अधिकारी है, ने अपीलार्थी को नौ वर्षीय चयनित वेतनमान दिनाँक 31.08.1993 से दिया गया तथा 18 वर्षीय चयनित वेतनमान

दिनाँक 31.08. 2002 से दिया गया तथा राज्य सरकार के आदेश दिनाँक 31.12.2009 की पालना में 27 वर्षीय ए०सी०पी० का लाभ दिनाँक 31.08.2011 से दिया गया, जो राज्य सरकार के आदेशों की पालना में अपीलार्थी को चयनित वेतनमान नियमानुसार दिया गया। प्रत्यर्थी सं0–3 ने भी अपीलार्थी को 09, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के आधार अनुपयोजित उपार्जित अवकाश का भुगतान किया गया, परन्तु मनमाने ढंग से बिना किसी आदेश के आदेशों की गलत रूप से व्याख्या करते हुये अपीलार्थी को दिनाँक 31 अगस्त की बजाय 01 सितम्बर से 09, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान की गणना करते हुये प्रत्यर्थी सं0–3 ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलार्थी के वेतनमान को संशोधित करने के आदेश पारित किये तथा अपीलार्थी के ग्रेच्युटी में से चार लाख रूपये की वसूली करते हुये रोका गया। प्रत्यर्थी सं0–3 के कार्यालय द्वारा प्रत्यर्थी सं0–2 को दिनाँक 22.05.2017 को अपीलार्थी को दिये गये चयनित वेतनमान के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिये पत्र लिखा, जिसका जवाब प्रत्यर्थी सं0–2 ने दिनाँक 04.07.2017 (अनुलग्नक–7) को आदेश पारित करते हुये सूचना दी कि अपीलार्थी को नौ वर्षीय चयनित वेतनमान दिनाँक 31.08.1993 से, 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनाँक 31.08.2002 से तथा तृतीय ए०सी०पी० का लाभ दिनाँक 31.08.2011 मध्यान्ह पश्चात् से स्वीकृत की जाती है। उक्त आदेश होने के बावजूद प्रत्यर्थी सं0–3 ने सेवा नियमों के विपरीत जाकर अपीलार्थी के सम्बन्ध में जारी चयनित वेतनमान आदेशों को संशोधित करते हुये 01 सितम्बर से चयनित वेतनमान देने के आदेश पारित किये, जबकि प्रत्यर्थी सं0–3 को यह अधिकार नहीं है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में चयनित वेतनमान को संशोधित करने का आदेश पारित करे। प्रत्यर्थी सं0–3 के कार्यालय ने दिनाँक 06.08.2017 (अनुलग्नक–8) को अपीलार्थी के प्रकरण में यू०ओ० नोट जारी करते हुये अपीलार्थी के प्रकरण में लिखा कि कार्मिक प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार मध्यान्ह बाद सँभालता है तो वह अपने वेतन भत्ते अगले दिन से प्राप्त करना प्रारम्भ करेगा, ऐसी स्थिति में 09, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के भुगतान में यह बाध्यता नहीं होती है कि वह स्वीकृति तिथि के अगले दिन से भुगतान प्राप्त करे। उक्त आधार पर अपीलार्थी के पेंशन प्रकरण को निस्तारण करने के आदेश जारी किये। उक्त आदेश के बावजूद प्रत्यर्थी सं0–3 के कार्यालय ने जान बूझकर अपीलार्थी के प्रकरण को लम्बित रखा, जिससे अपीलार्थी को समय पर सम्पूर्ण पेंशन परिलाभों का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, जिसके लिये प्रत्यर्थी सं0–3 जिम्मेदार है। एक तरफ प्रत्यर्थी सं0–3 अपीलार्थी को दिये गये चयनित वेतनमानों को नियमानुसार माना है तथा उसी के अनुसार अनुपयोजित उपार्जित अवकाश का भुगतान किया है, दूसरी तरफ ग्रेच्युटी, कम्युटेशन, पेंशन आदि परिलाभों के लिये अपीलार्थी के वेतनमान को संशोधित करते हुये बेसिक पे को कम किया गया है तथा

अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये आलोच्य आदेश पारित किये गये है, जबकि राज्य सरकार ने आज तक भी प्रत्यर्थी सं0–3 को अपीलार्थी के कैडर से सम्बन्धित चयनित वेतनमान देने के आदेश की शक्तियाँ प्रदान नहीं की हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि अगर किसी कर्मचारी का मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है तथा बिना मिस रिप्रेजेंटेशन अगर किसी कर्मचारी को अधिक भुगतान हो गया है, तो जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति के नजदीक हो तथा सेवानिवृत्त हो गया हो, उससे वसूली नहीं की जावे। अपीलार्थी दिनाँक 30.06.2017 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। अपीलार्थी का किसी प्रकार का मिस रिपजेंटेशन नहीं है। अपीलार्थी का नियुक्ति अधिकारी ने नियमानुसार अपीलार्थी को चयनित वेतनमान दिया है, नियुक्ति अधिकारी ने आज भी अपीलार्थी के चयनित वेतनमान आदेशों को संशोधित नहीं किया है। राजस्थान पेंशन नियम, 1996 के नियम–89 के अनुसार सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान देय तिथि को नहीं किया जाता है तथा 60 दिन के पश्चात् प्राधिकृत किया गया है तो कर्मचारी को नौ प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। प्रत्यर्थी सं0–2 ने सेवानिवृत्ति से पूर्व ही अपीलार्थी के प्रकरण को प्रत्यर्थी सं0–3 के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया था, उसी के आधार पर जुलाई, 2017 में अपीलार्थी को अनुपयोजित उपार्जित अवकाश का भुगतान प्रत्यर्थी सं0–3 द्वारा किया गया। दूसरी तरफ ग्रेच्युटी, कम्युटेशन, पेंशन आदि के परिलाभों के भुगतान हेतु प्रत्यर्थी सं0–3 के कार्यालय ने दिनाँक 14.08.2017 को आदेश पारित करने के पश्चात् भी अपीलार्थी को ग्रेच्युटी पेमेंट ऑर्डर प्रत्यर्थी सं0–3 के कार्यालय से दिनाँक 29.08.2017 को रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया, जो अपीलार्थी को दिनाँक 30.08.2017 को प्राप्त हुआ, जिसका भुगतान दिनाँक 31.08.2017 तक भी अपीलार्थी को नहीं किया गया। प्रत्यर्थी सं0–3 के कार्यालय ने जान बूझकर अपीलार्थी के उक्त भुगतान के आदेश को अपने कार्यालय में रखे रखा, अपीलार्थी को नहीं भेजा गया। राजकीय कर्मचारी जिस दिनाँक को कार्यग्रहण करता है, उसी दिनाँक से कर्तव्य (सेवा) प्रारम्भ माना जाता है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम–7 (8) की टिप्पणी में भी उक्त तथ्यों का उल्लेख है कि एक विशिष्ट दिवस राजकीय कार्मिक कर्तव्य पर उपस्थित होकर पद पर कार्यभार ग्रहण करने के समय से ही कर्तव्य प्रारम्भ माना जायेगा। अपीलार्थी का कथन है कि एक तरफ प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थी के वेतन को संशोधित कर रहे हैं, दूसरी तरफ विभाग में कार्यरत अपीलार्थी से कनिष्ठ सहायक लेखाधिकारी, अपीलार्थी से अधिक वेतन सेवानिवृत्ति की दिनाँक को प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से पवन कुमार कोली व दीपक सैनी सहायक लेखाधिकारी हैं, जो अपीलार्थी से कनिष्ठ है तथा अपीलार्थी से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी सं0–3 के आलोच्य आदेश दिनाँक 03.08.2017 व 14.08.2017 को अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को 09, 18 वर्षीय चयनित वेतनमान व 27 वर्षीय ए०सी०पी० का लाभ 31 अगस्त से ही प्रदान किया जावे। साथ ही सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान पर अपीलार्थी को भुगतान तिथि तक नौ प्रतिशत ब्याज प्रत्यर्थीगण से अपीलार्थी को दिलाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश शर्मा की नियुक्ति प्रथम बार राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर दिनांक 18.02.1981 को हुई। तत्पश्चात् अपीलार्थी श्री शर्मा का चयन कनिष्ठ लेखाकार के पद पर होने पर उसने दिनांक 31.08.1984 को मध्यान्ह पश्चात् कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर में कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.08.1984 को मध्यान्ह पश्चात् कार्यग्रहण करने तथा उन्हे वेतन का भुगतान दिनांक 01.09.1984 से किये जाने के कारण राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 22 के अंतर्गत अंकित अंकेक्षण निर्देशों के अनुसार प्रथम व द्वितीय चयनित वेतनमान एवं तृतीय एसीपी सेवा की गणना दिनांक 01.09.1984 से अनुज्ञेय है। इस संबंध में वित्त (नियम) विभाग के निर्देशों की फोटो प्रति माननीय अधिकरण के अवलोकनार्थ जवाब के साथ संलग्न है। राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 22 के अंतर्गत अंकित अंकेक्षण प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की सेवा की गणना दिनांक 01.09.1984 से की जाकर प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 1–9–1993 से, द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 01–09–2002 से एवं तृतीय एसीपी दिनांक 01–09–2011 से स्वीकृत की गई है। उपरोक्त संशोधन के कारण श्री ओमप्रकाश शर्मा को पूर्व में स्वीकृत अंतिम वेतन 28,920/– के स्थान पर अंतिम वेतन 28,350/– रूपये निर्धारित किया गया। जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी को अधिक भुगतान की वसूली राशि 4,00,000/– रूपये जीपीओ अधिकृति से रोकी गई। जिसमे किसी प्रकार की कोई भी दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर दिनांक 31.08.1984 को मध्यान्ह पश्चात कार्यग्रहण किया, जिसके फलस्वरूप उसे देय वेतन भत्तों का भुगतान दिनांक 01.11. 1984 से किया गया। अपीलार्थी को निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा 09, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान संबंधित वर्ष की 31, अगस्त को स्वीकृत किए गए और बाद

में चयनित वेतनमान/एसीपी को पूर्व में जारी आदेश को संशोधित कर क्रम से प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 31.08.1993 के मध्यान्ह पश्चात से, द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 31.08.2002 के मध्यान्ह पश्चात से एवं तृतीय चयनित वेतनमान दिनांक 31.08. 2011 के मध्यान्ह पश्चात से स्वीकृत करने का संशोधित आदेश दिनांक 04.07.2017 (अनुलग्नक–7) को जारी किया गया। अपीलार्थी वर्तमान में राजकीय सेवा से सहायक लेखाधिकारी के पद से दिनांक 30.06.2017 को सेवानिवृत्त हो चुका है। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–3 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.08.2017 और 14.08.2017 को अपास्त करने और चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ 31 अगस्त से भी प्रदान करने तथा सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान पर विलम्ब अवधि के लिए 09 प्रतिशत ब्याज दिलाए जाने का अनुतोष चाहा गया है।

वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.01.1992 में चयनित वेतनमान स्वीकृत किए जाने के संबंध में बिन्दु संख्या 02 में निम्न प्रावधान किए गए हैः–

"(i) The first selection Grade shall be granted from the day following the day on which one completes service of of nine years, provided that the employee has not got one promotion earlier as is. available in his existing cadre.

(ii) The Second Selection Grade shall be granted from the day following the day on which one completes service of eighteen years, provided that the employee has not got two promotions earlier as might be available in his existing cadre and the first Selections grade granted to him was lower than the pay scale of Rs.2200-4000.

(iii) The third Selection Grade shall be granted from the day on which one completes service of twenty seven years, provided that the employee has not got three promotions earlier as first or the second Selection Grade granted to him, as the case may be, was lower than the pay scales of Rs.2200-4000"

वेतन एवं भत्तों के संबंध में आरएसआर के नियम 22 में निम्न प्रावधान है, जिसका प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैः–

"**Rule 22. Condition for drawing pay and allowances:** Subject to any exceptions specifically made in these rules an official shall begin to draw the pay and allowances attached to his tenure of a post with effect from the date he assumes the duties of that post and shall cease to draw them as soon as he ceases to discharge those duties. "

Audit Instruction:- A Government servant will begin to draw the pay and allowances attached to his tenure of a post with effect from the date he assumes duties of that post if the charge is transferred before noon, of that date. If the charge is transferred after noon, he commences to draw them from the following day.

अपीलार्थी ने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर दिनांक 31.08.1984 को मध्यान्ह पश्चात कार्यग्रहण किया है। अतः उसको वेतन भत्तों का भुगतान अगल दिन अर्थात् दिनांक 01.09.1984 से किया गया है। अतः अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 01.09. 1993 से एवं द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 01.09.2002 से तथा तृतीय चयनित

वेतनमान दिनांक 01.09.2011 से प्रभावी रूप से देय होगा। अतः आलौच्य आदेश दिनांक 30.08.2017 में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। जहां तक अपीलार्थी से उसकी सेवानिवृत्ति पश्चात उसके सेवानिवृत्ति परिलाभों से राशि वसूल किए जाने प्रश्न है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि लोकसेवक सेवानिवृत्त हो गया एवं एक साल में सेवानिवृत्त होने वाला हो तो उससे वसूली अनुज्ञेय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 11527/2014 स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य बनाम रफीक मसीह में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2014 में प्रतिपादित सिद्वांत को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी से सेवानिवृति पश्चात वसूली नहीं की जा सकती है। प्रतिपादित सिद्वांत का अंश नीचे उद्धत किया जा रहा हैः—

"Recovery from employee- Payment mistakenly made in excess of entitlement-in the following situations recovery held to be impermissible:

(i) *"Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).*
(ii) *Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.*
(iii) *Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.*
(iv) *Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.*
(v) *In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."*

वित्त विभाग राजस्थान ने भी उक्त निर्णय की अनुपालना में परिपत्र दिनांक 17.08.2016 जारी कर इस तरह की वसूली नहीं करने हेतु निर्देशित किया हैः—

"(1) Recovery from employees belonging to Grade Pay upto Rs 2800/-

(ii) Recovery from ratired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued

(iv) Recovery in nases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly even though he should have rightfully buen required to work against an inferior post

(v) In any other caso, where the Gout anvos at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent as would far outweigh the equitable balance of the eniployer's right to recover."

राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा भी इस संबंध में परिपत्र दिनांक 17.08.2016 जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों से वसूली नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त विधिक स्थिति के आलोक में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलार्थी के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की जा रही वसूली कार्यवाही को अपास्त किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी से वूसली की गई अथवा सेवानिवृत्ति लाभों से कटौती की गई राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज सहित अपीलार्थी को किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)